UPAL010019862026

न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–2, अलीगढ़।

पीठासीन अधिकारी– राकेश वशिष्ठ, (उच्चतर न्यायिक सेवा) –UP 6270

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–894/2026

कलीम पुत्र सलीम निवासी हबीब पेंटर वाली गली थाना देहली गेट जिला अलीगढ़।

बनाम

उ0 प्र0 राज्य।

सत्र परीक्षण संख्या 120/2013
अपराध संख्या 191/2005
धारा–269,270,272 भा0द0सं0
थाना–देहली गेट, जिला–अलीगढ़।

आदेश

दिनांकः 06–03–2026 :–

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त कलीम उपरोक्त द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–120/2013, अपराध संख्या 191/2005, अंतर्गत धारा 269,270,272 भा0द0सं0 थाना देहली गेट, जिला अलीगढ़ के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

मैने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

अभियुक्त की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। प्रार्थी/अभियुक्त को तारीख की गलतफहमी होने व बीमार हो जाने के कारण उसके विरूद्ध वारन्ट हो गये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त बीमार होने के कारण तथा कोरोना होने के कारण न्यायालय नहीं आ पाया और वारन्ट जारी हो गये पत्रावली अन्य न्यायालयों में स्थानान्तरण होने के कारण नहीं मिल सकी काफी प्रयास ढूढने के करने पर पत्रावली मिली है। आगे ऐसी गलती नही करेगा तथा उसकी यह गलती छमा योग्य है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना की गयी।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त दिनांक 16–02–2026 से वारंट पर जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था तथा स्वयं की नाजानकारी व बीमार होने के कारण न्यायालय न आने का कथन किया गया है। मामले के सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना उचित होगा।

अतः अभियुक्त कलीम की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा 25,000/–रूपये (पच्चीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो नवीन सक्षम प्रतिभू व इस शर्त के साथ प्रस्तुत करने पर जमानत पर छोड दिया जावे कि–

1. प्रार्थी/अभियुक्त व जामिनदारान, बन्धपत्रों व प्रतिभू में अपने मोबाईल नम्बर तथा स्थाई व वर्तमान पते अंकित करेंगे एवं पते के सम्बन्ध में दस्तावेज आधार कार्ड आदि की प्रति प्रस्तुत करेंगे। यदि दिये गये पतों व मोबाईल नम्बर में कोई परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना न्यायालय को देंगे तथा यदि अभियुक्त कार्य के लिए स्थान परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तित स्थान की भी सूचना देंगे।

2. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान आरोप विरचित करने और बयान अं0धारा 313 द0प्र0स0 हेतु नियत तिथि पर बिना विलम्ब किये व्यक्तिगण रूप से उपस्थित आता रहेगा और न्यायालय में प्रस्तुत साक्षियों की प्रतिपरीक्षा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बिना विलम्ब कारित किये अवरोध नहीं किया जा सकेगा। अन्यथा विशेष परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उत्पीड़क कार्यवाही की जा सकेगी।

(राकेश वशिष्ठ)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–2,
अलीगढ़।
UP 6270

दिनांकः 06–03–2026

Digitally signed by RAKESH VASHISHT
Date: 2026.03.06 15:51:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court